



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1656]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2019/ज्येष्ठ 6, 1941

No. 1656]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2019/ JYAISTHA 6, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2019

का.आ. 1853(अ).—लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1730(अ), तारीख 14 मई, 2019 द्वारा विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए कि क्या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम को 'विधिविरुद्ध संगम' के रूप में घोषित करने का पर्याप्त कारण है या नहीं, दिल्ली उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश माननीया न्यायमूर्ति सुश्री संगीता ढींगरा सहगल की अध्यक्षता में 'विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण' का गठन करती है।

[फा.सं. 11034/4/2018-सीटी-II]

पीयूष गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2019

S.O. 1853(E).—Whereas, the Liberation Tigers of Tamil Eelam has been declared as an unlawful association, *vide*, notification number S.O. 1730 (E), dated the 14th May, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes the 'Unlawful Activities (Prevention) Tribunal', consisting of Ms. Justice Sangita Dhingra Sehgal, Hon'ble sitting Judge, High Court of Delhi, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Liberation Tigers of Tamil Eelam as an unlawful association.

[F.No.11034/4/2018-CT-II]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

2650 GI/2019